

**डकैती की योजना बनाते हुए 06 शातिर बदमाश गिरफ्तार कब्जे से दो अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी किये गये माल व नगदी तथा घटना में प्रयुक्त किये जा रहे चार पहिया ह्यन्डई की वैन्यू कार व बुलेट मोटरसायकिल बरामद-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 03.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर असना नहर के पास सुल्तानपुर रोड पर रात्रि 1:00 बजे 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व उनके द्वारा चोरी किये गये चार जोड़ी पायल सफेद धातू व दो जोड़ी विछिया सफेद धातू व एक जोड़ी पीली धातु कान का छाला व 5000/ रु0 नगद बरामद करते हुए घटना में प्रयुक्त किये जा रहे चार पहिया ह्यन्डई की वैन्यू कार व बुलेट मोटरसायकिल को भी मौके से बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 12/13.07.2025 की रात्रि में थानीदास के यूपी.बडौदा ग्रामीण बैंक में घुस कर लाकर तोड़ने की बात बताते हुए तथा दिनांक 12/13.08.2025 की रात्रि में ग्राम पटखौली में रामदवन यादव के मकान में चोरी की घटना की अंजाम देने की बात बताते हुए तथा दिनांक 02/03.09.2025 की रात्रि में मोहम्मदपुर हसनपुर में मनई गुप्ता के बन्द पडे मकान में हुई चोरी की घटना करने की बात बतायी गयी तथा चोरी किये गये माल में से उक्त माल व रुपये बरामद कराये गये। इन घटनाओं के सम्बन्ध में थाना घोसी में पूर्व में मु0अ0सं0 408/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 444/25 धारा 305 बीएनएस तथा मु0अ0सं0 367/25 धारा 305(1)/62/324(3) बीएनएस पंजीकृत किया जा चुका है। उक्त अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उनके विरुद्ध आज दिनांक 03.10.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 486/2025 धारा 310(4), 310(5) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व के चोरी के मुकदमों का अनावरण कर अभियुक्तगण उपरोक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

### **अभियुक्तों का विवरण –**

1. बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर पुत्र स्व0 रोहित बासफोर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी मऊ

2. गौरव यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी सिउरी प्रेमरजा थाना भीमपुरा जनपद बलिया
3. भगवान राजभर पुत्र भोला राजभर निवासी असढिया थाना भीमपुरा जनपद बलिया
4. सोनू राजभर पुत्र धनन्जय राजभर निवासी अजोरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ
5. आर्यन यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी सेन्दुराईच थाना कोपांगज जनपद मऊ
6. प्रवीण यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी देवकली विशुनपुर थाना कोपांगज जनपद मऊ

#### पंजाकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 486/2025 धारा अन्तर्गत धारा 310(4), 310(5) बी.एन.एस. व 3/25 आम्स एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 408/25 धारा 305 बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 444/25 धारा 305 बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 367/25 धारा 305(1)/62/324(3) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ

#### बरामदगी-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर के कब्जे से
2. एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर अभियुक्त गौरव यादव के कब्जे से
3. चार जोड़ी पायल सफेद धातू मुकदमें से सम्बन्धित माल
4. दो जोड़ी विछिया सफेद धातू मुकदमें से सम्बन्धित माल
5. एक जोड़ी पीली धातु कान का छाला व 5000/ रु0 नगद मुकदमें से सम्बन्धित माल

#### आराधिक इतिहास-

1. बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर पुत्र स्व0 रोहित बासफोर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी मऊ  
मु0अ0सं0 069/2023 धारा 379, 411 भादवि दोहरीघाट मऊ  
मु0अ0सं0 142/2023 379, 411 भादवि घोसी  
मु0अ0सं0 157/2023 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, भादवि थाना घोसी जनपद मऊ।  
मु0अ0सं0 160/2023 धारा 25,3 आयुध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ .

मु0अ0स0 254/2023 धारी 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना घोसी मऊ ।

मु0अ0स0 78/25 धारा 9/25 आयुध अधिनियम 392, 414, 411 भादवि थाना घोसी मऊ ।

मु0अ0स0 569/25 धारा 25,3 आयुध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ

मु0अ0स0 60/23 धारा 25,3 आयुध अधिनियम 34, 307 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ

मु0अ0स0 211/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ ।

मु0अ0स0 174/24 धारा 309(4), 317(3) वीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ ।

मु0अ0स0 177/24 धारा 25,3 आयुध अधिनियम थाना मधुबन जनपद मऊ ।

मु0अ0स0 111/22 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि मुहम्मदाबाद मऊ ।

मु0अ0स0 10723 धारा 379, 411 भादवि थाना सरायलखन्सी मऊ ।

मु0अ0स0 68/25 धारा 109, 351(3), 352 बीएमएस थाना भीमपुरा बलिया ।

2. गौरव यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी सिउरी प्रेमरजा थाना भीमपुरा जनपद बलिया

मु0अ0स0 248/21 धारा 399, 402 भादवि थाना नगरा बलिया ।

मु0अ0स0 251/21 धारा 25,3 आयुध अधिनियम नगरा बलिया ।

3. भगवान राजभर पुत्र भोला राजभर निवासी असढिया थाना भीमपुरा जनपद बलिया

मु0अ0स0 140/219 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 341, 352, 504, 506 भादवि रेवती बलिया ।

मु0अ0स0 180/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम रेवती बलिया ।

4. सोनू राजभर पुत्र धनन्जय राजभर निवासी अजोरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ

मु0अ0स0 43/23 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि रामपुर मऊ।

मु0अ0स0 54/24 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि रामपुर मऊ ।

मु0अ0स0 30/25 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस रामपुर मऊ ।

5. आर्यन यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी सेन्दुराईच थाना कोपांगज जनपद मऊ

निल

6. प्रवीण यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी देवकली विशुनपुर थाना कोपांगज जनपद मऊ

मु0अ0स0 141/21 धारा 171एच, 188 भादवि 3 महामारी अधिनियम कोपांगज मऊ ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ.नि.शंकर कुमार यादव
3. का0 राजित यादव
4. उ.नि.संजय कुमार उपाध्याय
5. उ.नि.पवन कुमार
6. उ.नि.प्रकाश कुमार
7. उ.नि. सूरज सिंह
8. उ.नि.आकाश श्रीवास्तव
9. उ.नि. दिनेश यादव
10. हे.का.रत्नाकर सिंह
11. का.रिकू कुमार
12. का.शैलेश कोरी
13. का.दिग्विजय
14. हे.का.शोएब आलम
15. हे.का.संदीप संगम
16. का.अखिलेश कुमार

**एक शातिर चोर/बदमाश गिरफ्तार कब्जे 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व नगदी बरामद –**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 03.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय अन्डर पास से अभियुक्त गणेश राजभर पुत्र स्व0 रमाशंकर राजभर निवासी ग्राम कंधेली थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी की एक मोटरसाइकिल नम्बर UP 54 AQ 1134 व चोरी के माल से बिक्री कर 1000 रुपये बरामद कर गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

गणेश राजभर पुत्र स्व0 रमाशंकर राजभर निवासी ग्राम कंधेली थाना घोसी जनपद मऊ।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 485/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 418/2025 धारा 305 ए,317(2), बी.एन.एस थाना घोसी जनपद मऊ

#### **बरामदगी-**

1. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
3. चोरी की एक मोटरसाइकिल नम्बर UP 54 AQ 1134
4. चोरी के माल के बिक्री से मिले 1000रुपया बरामद

#### **अराधिक इतिहास**

गणेश राजभर पुत्र स्व0 रमाशंकर राजभर निवासी ग्राम कंधेली थाना घोसी जनपद मऊ ।

- 1 मु0अ0सं0 562/16 धारा 302, 323, 427, 504 घोसी मऊ।
- 2 मु0अ0सं0 905/16 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट घोसी मऊ ।
- 3 मु0अ0सं0 408/24 धारा 115(2), 351(2) 64 घोसी मऊ।
- 4 मु0अ0सं0 धारा 60 आबकारी अधिनियम घोसी मऊ।
- 5 मु0अ0सं0 279/25 धारा 379, 411 भादवि मधुबन मऊ
- 6 मु0अ0सं0 332/25 धारा 379, 411 भादवि मधुबन मऊ
- 7 मु0अ0सं0 334/21 धारा 41, 411, 419, 420, भादवि मधुबन मऊ

#### **गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम –**

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता
3. हे.का.अजय कुमार यादव
4. उ.नि.रवि कुमार
5. का.अमित कुमार
6. हे.का.विमलेश सिंह
7. का.दिलीप भरद्वाज

